रजिस्ट्री सं. डी (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 9, 1992/पौष 19, 1913
No. 19] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 9, 1992/PAUSA 19, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

अरावली रेंज में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में कतिपय क्रियाकलाप जो कि प्रदेश में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे है के निर्बन्धन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) और 3(2)(V) और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5(3)(ख) के अधीन।

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1992

का.आ. 25(अ).—अरावली रेंज देश की पर्यावरणीय भलाई के लिए एक पारिस्थितिकीजन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में है;

अरावली रेंज के कतिपय क्षेत्रों में अनुचित विकास प्रक्रियाओं और संक्रियाओं—जिनमें मानव बस्तियां, खनन और खदान क्रियाएं, वनों की कटाई, अत्यधिक चारागाही और योजनाविहीन कालोनीकरण है के कारण बड़े पैमाने पर प्रतिकूल पर्यावरणीय परिणाम हो चुका है;

और अपनी अर्थ प्रणाली के पुनरुद्धार, जल व्यवस्था में सुधार और दुर्लभ और क्षेत्र में कम हो रहे प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण के लिए अरावली रेंज के उक्त क्षेत्र की पारिस्थितिकी सुधार और भलाई आवश्यक है;

और अरावली रेंज पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील है तथा हरियाणा के गुड़गांव जिले में और राजस्थान के अलवर जिले में अर्थ प्रणाली को नुकसान पहुंचाने की सम्भाव्य आशंका है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उपधारा (2) के खण्ड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से उपाबद्ध कारणों से विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में उसकी पूर्व अनुज्ञा के सिवाय

निम्नलिखित प्रक्रियाएं और संक्रियाएं करने का निषेध करती है ,—

(i) किसी उद्योग का अवस्थापन;

(ii) सभी खनन संक्रियाएं;

(iii) पेड़ों की कटाई;

(iv) सारणी के मद (iv) में विनिर्दिष्ट सभी क्षेत्रों में पशुओं की चारागाही;

(v) किसी निवास एककों का समूह, फार्म हाउस, शेडों, समुदाय केन्द्रों, सूचना-केन्द्रों का विनिर्माण और ऐसे विनिर्माण से संबद्ध कोई अन्य क्रियाकलाप (जिसमें उनसे संबंधित किसी अवसंरचना के भाग के रूप में सड़कें हैं);

(6) विद्युतीकरण ।

2. कोई व्यक्ति जो उक्त क्षेत्रों में कोई उपरोक्त वर्णित प्रक्रियाएं या संक्रियाएं करने की वांछा करता है, एक आवेदन संलग्न आवेदन प्ररूप में सचिव/पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली को देगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्र और प्रस्तावित संक्रिया और प्रक्रिया के ब्यौरे विनिर्दिष्ट किए जाएंगे । आवेदन के साथ एक पर्यावरण समाघात कथन और एक पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना भी देगा और आवेदन पर विचार करने के लिये ऐसी अन्य सूचनाएं जिनकी केन्द्रीय सरकार द्वारा अपेक्षा की जाए, देगा ।

3. केन्द्रीय सरकार को पर्यावरण और वन मंत्रालय उक्त अधिनियम के उपबन्धों के प्रवर्तन के लिये उसके द्वारा समय-समय पर जारी किये गए मार्गदर्शक सिद्धांतों का ध्यान रखते हुए आवेदन प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर या जहां आवेदक से कई जानकारी मांगी गई हो तो ऐसी जानकारी की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर अनुज्ञा प्रदान करेगा या उक्त क्षेत्र में पर्यावरण पर प्रस्तावित प्रक्रिया या संक्रिया के समाघात के आधार पर उक्त अवधि के भीतर अनुज्ञा देने से इंकार करेगा।

4. कोई व्यक्ति प्रस्तावित प्रतिषेध और निर्बन्धन के अधिरोपण के विरुद्ध कोई आक्षेप फाइल करने में हित रखता है तो वह लिखित रूप से सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली को इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन के भीतर ऐसा कर सकता है ।

[सं. 17/1/91-पी एल/ आई ए]

आर. राजमणी, सचिव

सारणी

वे क्षेत्र जहां बिना अनुज्ञा की प्रक्रियाओं और संक्रियाओं का निषेध किया गया है।

(i) इस अधिसूचना की तारीख को हरियाणा राज्य में गुड़गांव जिले और राजस्थान राज्य के अलवर जिले के संबंध में राज्य सरकार द्वारा रखे गए भू अभिलेख में 'वन' के रूप में दर्शाए गए सभी आरक्षित वन, संरक्षित वन या कोई अन्य क्षेत्र;

(ii) इस अधिसूचना की तारीख को हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले और राजस्थान राज्य के अलवर जिले के संबंध में राज्य सरकार द्वारा रखे गए भू-अभिलेखों में,—

(क) गैर मुमकिन पहाड़; या

(ख) गैर मुमकिन राडा या

(ग) गैर मुमकिन बीहड़; या

(घ) बंजर बीड़, या

(ङ) रुंध

के रूप में दर्शित सभी क्षेत्र ।

(iii) गुड़गांव जिले में इस अधिसूचना की तारीख तक हरियाणा राज्य को यथा लागू पंजाब लैण्ड प्रीजरवेशन एक्ट, 1900 की धारा 4 और 5 के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं के अन्तर्गत आने वाले सभी क्षेत्र ।

(iv) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के अन्तर्गत अधिसूचित सारिस्का के राष्ट्रीय उद्यान और सारिस्का अभयारण्य के सभी क्षेत्र ।

उपाबंध—1

आवेदन का प्ररूप

1 (क) प्रस्तावित परियोजना का नाम और पता :

(ख) परियोजना का अवस्थान :

(ग) स्थान का नाम :
जिला, तहसील :
अक्षांश/देशांश :
नजदीकी हवाई अड्डा/रेलवे स्टेशन :

(घ) परीक्षित आनुकल्पिक स्थल और प्रस्तावित स्थल के लिए कारण :

2. परियोजना के उद्देश्य :

(क) भूमि की अपेक्षाएं
कृषि भूमि;
वन भूमि और वनस्पति की सघनता
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)